रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 193] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1984/पौष 1, 1906
No. 193] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 22, 1984/PAUSA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मन्त्रालय

(सरकारी उद्यम कार्यालय)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1984

संख्या 1(1)/83-बीपीई (डब्ल्यूसी) :—भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मकारियों के महंगाई भत्ता संबंध फार्मूला की समीक्षा करने के लिए वित्त मंत्रालय (सरकारी उद्यम कार्यालय) के दिनांक 25 मई, 1983 के (1)/83-बीपीई (डब्ल्यूसी) संख्यक संकल्प के अनुसार गठित त्रिपक्षीय समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 1985 तक बढ़ाने का निर्णय किया है ।

सुरत दास श्रीवास्तव, विशेष सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Bureau of Public Enterprises)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th December, 1984

No. 1(1)|83-BPE(WC).—Government of India have decided to extend the term of the Tripartite Committee which was constituted vide Ministry of Finance (Bureau of Public Enterprises) Resolution No. 1(1)|83-BPE(WC), dated 25th May 1983 for reviewing the formula for payment of DA to the employees of the Central Public Sector Enterprises upto 31st March, 1985.

S. D. SRIVASTAVA, Spl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985